

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234766
SG-DL-E-01042022-234766

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2022/चैत्र 10, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 592
No. 221]	DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2022/CHAITRA 10, 1944	[N. C. T. D. No. 592

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 23 मार्च, 2022

सं. फा. 8/164/2021/गृह पुलिस -II/564-77.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 11011/2/74-यू टी एल (i) के साथ पठित आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी एतद् द्वारा दिनांक 19.9.2017(सी.सी.नं. 1/2018)के एफआईआर सं. 194/2017 मामले में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8,9,13(2) के अधीन तथा धारा 409/420/120ख के साथ संकलित भारतीय दण्ड संहिता 201, पीएस-3, केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ शीर्षक "राज्य बनाम सुनीता एवं अन्य" जिसे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 5.2.2021 के आदेश द्वारा स्थानांतरण याचिका (सीआरएल) सं. 136/2020 एवं 66/2020 के अनुसार जांच हेतु चण्डीगढ़ से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, में विचारण हेतु श्री मनोज गर्ग, अपर लोक अभियोजक को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं। विशेष लोक अभियोजक को यथाग्राह्य शुल्क एवं व्यय केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़, चण्डीगढ़ सरकार द्वारा वहन किये जाएंगे।

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एल. के. गौतम, उप-सचिव (गृह-II)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 23rd March, 2022

No. F. 8/164/2021/HP-II/564-77.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Competent Authority, is pleased to appoint Sh. Manoj Garg, Addl. PP as Special Public Prosecutor in case FIR No. 194/2017 dated 19.09.2017 (C.C.No.1/2018), U/s 8,9,13(2) Prevention of Corruption Act & Sections 409/420/120B added 201 IPC, PS-3, UT, Chandigarh, titled as 'State Vs Sunita & Ors.' Which was transferred from Chandigarh to Delhi by Order dated 05.02.2021 of Hon'ble Supreme Court of India vide Transfer Petition (Crl.) No. 136/2020 & 66/2020 for trial. The fee and expenses as admissible to Special Public Prosecutor will be borne by the Govt./Administration of Union Territory of Chandigarh, Chandigarh .

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
L.K. GAUTAM, Dy. Secy. (HOME-II)